40–(08)–88–2017

पटना में दिनांक–18 जुलाई, 2017 मंगलवार को अपराह्न 6:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

खान एवं भूतत्व विभाग

1. खान एवं खनिज के बेहतर प्रबंधन हेतु खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना में उड़ीसा सरकार से रू० 50,00,000/–(पचास लाख) की लागत पर i3MS Software के source code का क्रय एवं M/s-CSM Technologies Pvt. Ltd. Bhubaneshwar को नामांकन के आधार पर चयनित करते हुए रू० 49,34,630/– (उनचास लाख चौतीस हजार छः सौ तीस) (कर अतिरिक्त) की लागत पर उससे उक्त software को customize कराने एवं न्यूनतम आवश्यकतानुसार PMU संचालित कराने के संबंध में।

1. स्वीकृत।

गन्ना उद्योग विभाग

2. पेराई सत्र 2016–17 में राज्य की चीनी मिलों के माध्यम से गन्ना कृषकों को बढ़े हुए दर से ससमय ईख मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने के निमित्त राज्य की चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रूप में पेराई सत्र 2016–17 के लिए ईख क्रय कर (Purchase Tax) की अदायगी से छूट प्रदान करने एवं क्षेत्रीय विकास परिषद कमीशन की दर को ईख मूल्य के 1.80% से घटाकर 0.20% के रूप में पुनर्निर्धारित करने की स्वीकृति।

2. स्वीकृत।

विधि विभाग

3. माननीय उच्च न्यायालय, पटना में प्रस्तावित डिजिटाईजेशन कोषांग के गठन हेतु, 5 वर्षों के लिए अस्थायी रूप से, पर्यवेक्षक के 02 पद, सहायक के 40 पद एवं सामान्य मजदूर के 20 पद, कुल 62 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

3. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

4. श्रीमती पूनम कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गौनाहा, प०चम्पारण अधिसूचित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दिघलबैंक, किशनगंज (निलंबित) सम्प्रति मुख्यालय, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का कार्यालय, मुजफ्फरपुर को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में।

4. स्वीकृत।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

5. "बिहार उत्पाद अराजपत्रित संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2017" को अधिसूचित कर गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत करने की स्वीकृति के संबंध में।

5. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

6. बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 में संशोधन के संबंध में। — 6. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

7. श्री राजमंगल राम, बि०प्र०से० को० क्र०–504/11, तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी, मोतिहारी (सम्प्रति निलंबित) को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — 7. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील (एस) संख्या–2635/2011, संजीव कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–16.03.2016 को पारित आदेश के आलोक में श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, सीवान एवं श्री मनोज कुमार, मुंसिफ, अररिया को पद से हटाये जाने की स्वीकृति। — 8. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

9. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों का सत्यापन एवं आधार संख्या, बैंक खाता संख्या, मोबाईल संख्या इत्यादि के संग्रहित डाटाबेस की प्रविष्टि मद में वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल संभावित राशि रू० 3431 लाख (चौंतीस करोड़ एकतीस लाख) के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

10. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा–29 एवं लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की कंडिका–7(4) के आलोक में लक्ष्यित जन वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और उचित कार्यकरण को तथा ऐसी प्रणाली में, कृत्यकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, शहरी निकाय क्षेत्रों के वार्ड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय सतर्कता समितियों के गठन के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

11. रोहतास जिलान्तर्गत मौजा–मुरली पहाड़ी में 131.90 एकड़ क्षेत्र पर धारित चूना–पत्थर खनन पट्टा का प्रथम नवीकरण सर्वश्री कल्याणपुर सिमेंट लिमिटेड के पक्ष में खनिज समनुदान नियमावली, 1960 के नियम–24(b) के तहत दिनांक–02.01.2012 से 20 वर्षों के लिए करने के संबंध में। — 11. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

12. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के अंतर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु सुपौल जिला के राघोपुर प्रखण्ड में एक नये 3x50 एम०भी०ए० क्षमता वाली 132/33 के०भी० ग्रिड सब–स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 68.43 करोड़ (अड़सठ करोड़ तैंतालीस लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत कुल राशि की 20% अर्थात 13.69 करोड़ रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 54.74 करोड़ रू० राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 12. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

13. बक्सर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) की अतिरिक्त शाखा खोले जाने हेतु NIELIT को लीज (30 वर्ष) के माध्यम से निःशुल्क भूमि हस्तांतरण के संबंध में। 13. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

14. पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक–31.10.2012 तक की अवधि में अनफण्डेड टर्मिनल बेनिफिट दायित्व के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए अनुमानित देय वार्षिक दायित्व के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में 880.4887 करोड़ (आठ सौ अस्सी करोड़ अड़तालीस लाख सतासी हजार) रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 14. स्वीकृत।

वित्त विभाग

15. वर्ष 2016–17 में, वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट पुस्तिकाओं के मुद्रण हेतु निवेदित दरों में निर्धारित न्यूनतम (एल–1) दर पर आगे के तीन वर्षों यथा–2018–19 से 2020–21 तक के बजट पुस्तिकाओं का मुद्रण कर बजट पुस्तिकाएँ उपलब्ध कराने के साथ–साथ इन अवधियों के लिए, वर्ष 2016–17 में वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए निर्धारित न्यूनतम (एल–1) दर पर सी०डी० (राईट कर) उपलब्ध कराने के लिए, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के उपक्रम, सर्वश्री सरस्वती प्रेस लिमिटेड, कोलकाता, को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली 2005 के नियम 131 ज्ञ(ङ) के तहत नामांकन आधार पर प्राधिकृत करने के संबंध में। 15. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

18. वित्तीय वर्ष 2017–18 में कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के राज्यस्तरीय मुख्यालय के स्थापना मद में कुल 146.88 लाख रूपये (एक करोड़ छियालीस लाख अठासी हजार रूपये) की स्वीकृति तथा सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेन्सी, पटना गण्डक कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर, कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा एवं किउल–बदुआ–चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर के अन्तर्गत विभिन्न कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन योजनाओं यथा सोन, उत्तर कोयल, गण्डक, कोशी किउल, बदुआ, चान्दन एवं दुर्गावती के कार्यान्वयन हेतु सृजित स्थापना एवं कार्य मदों में क्रमशः 4890.00 लाख रूपये (अड़तालीस करोड़ नब्बे लाख रूपये) एवं 7023.22 लाख रूपये (सत्तर करोड़ तेईस लाख बाईस हजार रूपये मात्र) सहाय्य अनुदान की स्वीकृति अर्थात कुल 12060.10 लाख रूपये (एक अरब बीस करोड़ साठ लाख दस हजार रूपये) की स्वीकृति।

18. स्वीकृत।